

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- पाँवडेरा

प्रकरण संख्या:- 253/25

दिनांक:- 3/10/2025

उनवान

श्री राजेश कुमार डुग
लक्ष्मी नारायण शिवा

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न प्रस्ताविका, पटवारी हल्का पाँवडेरा भू. अ. नि. पाँवडेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम उनसीला पो ह पाँवडेरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 200 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	पिता एवं दादा का नाम कच्छु	लक्ष्मीराज डुग मिश्रिया	लक्ष्मी नारायण डुग मिश्रिया (शेख डुग कच्छु लक्ष्मीराज)

1/10/25 उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)
चौथ का बरवाड़ा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर मूलना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री लक्ष्मी नारायण डुग मिश्रिया शिवा।

1/10/25 उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

